

**विनियोग संख्या 77 - संघ लोक सेवा आयोग**  
**APPROPRIATION No. 77-UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
---------------------------------------	--	-----------------

(हजार रुपयों में)  
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	52,00,00		
पूरक	Supplementary	4,00,00	56,00,00	55,73,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	शून्य Nil		
टीका और टिप्पणियां	Notes and comments			

1. विनियोग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

1. In the appropriation, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"			
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission			
मू.	O.	5200.00		
पू.	S.	400.00	5600.00	5573.59
		-26.41		

(1) "संघ लोक सेवा आयोग - परीक्षाओं और चयन पर व्यय" के अन्तर्गत 1991.80 लाख रु. के मूल विनियोग को मार्च, 2005 में 100.20 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 2092.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि जो वैयक्तिक बातचीत/साक्षात्कार बोर्डों के कम संख्या में आयोजित किए जाने तथा उम्मीदवारों एवं पर्यवेक्षकों को अदायगी पर कम व्यय होने के कारण 26.20 लाख रु. तक की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(1) Under "Union Public Service Commission - Expenditure on Examinations and Selection" - the original appropriation of Rs.1991.80 lakhs was augmented to Rs.2092.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.100.20 lakhs in March, 2005 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.26.20 lakhs - due to less number of Personal talk/Interview Boards held and less expenditure on payment to candidates and Supervisors.

2. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क के रूप में वर्ष के दौरान 37.40 लाख रु. की राशि वसूल की गई जिसे व्यय की कमी के रूप में नहीं लिया जाना था और इसे भारत की समेकित निधि में प्राप्ति के रूप में लिया गया था।

2. An amount of Rs.37.40 lakhs was realised during the year as fees for examination conducted by the Commission which was not to be taken as reduction of expenditure and was taken as receipt in the Consolidated Fund of India.

---